

सं० सं० 14 / एम 11-4 / 15
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा०. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक

रविन्द्र नाथ टैगोर अन्तर्राष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान,
मुकुन्दपुर, कोलकत्ता 700099

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 9.9.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मास्टर रौबीन कुमार पिता-रविन्द्र सिंह ग्राम+पो०+थाना-बोधगया जिला-गया	किडनी रोग	₹ 2,50,000 /-(दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,50,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,50,000 /-(दो लाख पचास हजार) का क्रास चेक सं०.....
.....909296.....मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा०. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक - 1-10-15

ज्ञापांक - 1115(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं० सं० 14/एम 11-4/15
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा०. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 9.9.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	योगेन्द्र चौधरी पिता-स्व. मिटु चौधरी ग्राम+पो0-पंचफेड़ा थाना-मीरगंज जिला-गोपालगंज सी.आरनं0-2014709663	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	सुदामा पाण्डेय पिता-स्व. दिनेश पाण्डेय ग्राम-पो0+थाना-ब्रहमपुर जिला-बक्सर सी.आरनं0-2015 473831	कैंसर रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
3	मो० नौशाद पिता-मैनुद्वीन मियां ग्राम-पो0-नथुछाप थाना+जिला-सीवान सी.आरनं0-2015182610	किडनी रोग	₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।
4	प्रीती कुमारी पिता-सचिदानन्द सिंह ग्राम-कोहकर पो0-बदहारी, थाना-कोचस जिला-रोहतास सी.आरनं0-2014555604	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
5	दीपक कुमार पिता-उमेश राम ग्राम-अंजनी पो0-बारा थाना+जिला-जहानाबाद सी.आरनं0-2015244100	पेट रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।

31/8/15
29/9/15

6	आशा देवी पति-नन्द किशोर प्र० गुप्ता ग्राम+पो०+थाना-कुटुम्बा जिला-औरंगाबाद सी.आरनं०-2015415760	हार्डिटेक रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
7	बुज नन्दन शर्मा पिता-स्व. रामचन्द्र शर्मा ग्राम-नखटौल पो०-डुमरैक, थाना भभुआ जिला-भभुआ कैमुर सी.आरनं०-2015359634	असाध्य रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
8	राजवंश मिश्रा पिता-रामनीत मिश्रा ग्राम+पो०-सीसीरित थाना-नोखा जिला-रोहतास सी.आरनं०-2015565621	ब्रेन हेमरेज रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
9	मो० फैजान आलम पिता-मो० शमशाद आलम ग्राम-हमीदपुर कुर्जी गेट नं०-79, पो०-सदाकत आश्रम थाना-दीघा, जिला-पटना सी.आरनं०-2015516317	ऐ-प्लास्टिक	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
10	अंकिता कुमारी पिता-सुनील सिंह ग्राम-पो०+थाना-इटाढी जिला-बक्सर सी.आरनं०-2014634981	सर्जरी रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 5,80,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,80,000/- (पांच लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 909292 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस० पी०ई०डी० खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस०जी०पी०जी०आई०,RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।

29/11/17
29/11/17

5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...909292...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1111 (14)

पटना, दिनांक - 1-10-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों /आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

